न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 101/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/239

प्रार्थीः– ईश्वरलाल पुत्र फुआराम, जाति कुम्हार, निवासी घेनडी तहसील रानी, जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. हिरालाल पुत्र अचलाराम जाति कुम्हार, निवासी घेनडी तहसील रानी जिला पाली
2. सरपंच ग्राम पंचायत घेनडी, पंचायत समिति रानी तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपाराम परमार
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/03/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 4553 दायर दिनांक 15.12.1975 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया, जिसके संबंध में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी रहवासीय कब्जाशुदा मकान गांव घेनडी, तहसील रानी में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का पिछले 60 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा एवम् रहवास चला आ रहा है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए प्रार्थी के कब्जाशुदा रहवासीय भूखण्ड का विधिविरूद्ध तरीक से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। ग्राम पंचायत घेनडी ने पट्टा जारी करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई पत्रावली कायम नही की, ना ही अप्रार्थी से पट्टा बनाने हेतु आवेदन लिया गया, पंचायत नियमों के अनुसार पट्टा जारी करने के स्थल का मनोनित पंचो द्वारा न तो मौका देखा गया, ना ही आपत्ति सूचना नोटिस जारी किया गया, जिस भूमि का पट्टा जारी किया जाना है, वह भूमि अप्रार्थी के कब्जा में है या नही, इस बाबत किसी भी प्रकार की कोई जॉच अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नहीं की गई। अप्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे में वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया और दो वर्षों के भीतर मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया और न ही कब्जे अनुसार पट्टे के पड़ौस मेल खा रहे है। अप्रार्थी जैर निगरानी पट्टे की आड में मेरे मकान पर कब्जा करने को आमदा है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 4553 दिनांक 15.12.1975 अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। इसी दिनांक को इन्हीं नियमों के तहत प्रार्थी के पिता फुआ के पक्ष में निःशुल्क पट्टा संख्या 4554 दिनांक 15.12.1975 जारी किया गया। प्रार्थी के पिता व अप्रार्थी के पिता दोनों भाई है एवं दोनों को पट्टा दिया गया। जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस में फुआ पुत्र अचला अंकित है और पट्टा संख्या 4554 के पड़ौस में हीरा पुत्र अचला अंकित है। राजस्थान पंचायती राज नियम के आवंटन नियम 1975 के तहत भूमिहीन अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को केवल एक आवेदन पत्र के आधार पर मजमे आम में 150 वर्गगज के पट्टे दिये जाने के प्रावधान थे। इस प्रकार के पट्टों में पट्टा जारी किये जाने के अन्य नियमों की पालना किये जाने की अनिवार्यता नहीं थी। प्रार्थी के पिता का सिविल न्यायालय, देसूरी में जैर आराजी का अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया गया। प्रार्थी के पिता ने अपने प्लॉट को अप्रार्थी के भाई को बेच दिया जिसका इकरारनामा दिनांक 22.12.2010 को लिखा गया जिस पर साक्ष्य के रूप में प्रार्थी के हस्ताक्षर भी किये हुये है एवं वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य किय हुआ है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2002(2) DNJ (Raj.) 668 Vimla (Smt.) vs Additional Collector, Churu & Ors. पेश कर बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 4553 दायर दिनांक 15.12.1975 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की न तो मिसल कायम की गई और न ही आपत्ति ईशतिहार जारी किया गया अर्थात् पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुये उज्र किया कि अप्रार्थी के पिता को जैर निगरानी पट्टा अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत जारी किया गया है, जिसमें पंचायती राज नियमों की पालना की आवश्यकता नहीं होती है। जैर निगरानी पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता हिरा पुत्र अचलाजी के पक्ष में अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत दिनांक 15.12.1975 को जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचात एवं न्याय पंचायत (सामान्य) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन व्यक्तियों, ग्राम कारीगरों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को आवासी आवास स्थल हेतु आबादी भूमि का विशेष आवंटन नियम, 1975 के अनुसार "आवंटन प्राधिकारी पात्र व्यक्तियों की पहचान करेगा, आवेदन प्राप्त करेगा और आवश्यक जांच के पश्चात् मजमा–आम में आवंटन आदेश पारित करेगा। इन नियमों के तहत 150 वर्ग

अति. जिला कलेक्टर पाली

गज का प्लॉट निःशुल्क आंवटित किया जाएगा तथा राजस्थान पंचायत एवं नई पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रावधान भूमिहीन अनुसूचित जातियों/जनजातियों, ग्रामीण कारीगरों और सीमांत कृषकों को आवासीय आवास स्थल हेतु भूमि आवंटन के लिए लागू होगें।" जिससे यह सुस्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकृति के आवंटन में पंचायती राज नियमों के प्रावधानों मे छूट दी गयी है और ग्राम पंचायत ने उसी अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो प्रथमदृष्टया विधिनुसार प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2002(2) DNJ (Raj.) 668 Vimla (Smt.) vs Additional Collector, Churu & Ors. के अनुसार भारत का संविधान, 1950– अनुच्छेद 226–विस्तार–भूमि का आंवटन–प्रार्थीयों ने अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान को अभिखण्डित करने के आदेश को चुनौती दी– प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान पंचायत द्वारा भूमि के लिये बिना कोई धनराशि वसूल किया गया–पंचायत के शिक्षा प्रसार अधिकारी जिसने वह आवंटन किया उसे विधि द्वारा उक्त आवंटन का कोई अधिकार नहीं था–ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन हेतु कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया–प्रार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण शिल्पी, छोटे किसानो की श्रेणी में नहीं आते– निर्णित, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान को अभिखडित करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो कि प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के कथनों को बल देता है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत घेनडी के पट्टा संख्या 4553 एवं 4554 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता को अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत आबादी भूमि खसरा संख्या 239 में दिनांक 15.12.1975 को 150 वर्गगज के प्लॉट का पट्टा जारी किया गया तथा उक्त पट्टा संख्या 4553 के पूर्व दिशा में फुआ पुत्र अचला एवं पट्टा संख्या 4554 के पश्चिम दिशा में हीरा पुत्र अचला अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनो व्यक्तियों को एक ही दिन आबादी भूमि में अलग अलग भूखण्ड के पट्टे जारी किये गये थे। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 22.12.2010 के अनुसार भी प्रार्थी के पिता ने जैर निगरानी पट्टे की आराजी को अप्रार्थी के भाई श्रवणकुमार पुत्र हिराजी को बेच दी थी, जिस पर साक्ष्य के रूप में प्रार्थी स्वंय के हस्ताक्षर है। अतः उक्त इकरारनामा से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को वर्ष 2010 में ही जैर निगरानी पट्टे की सचेष्ट रूप से जानकारी हो गयी थी उसके उपरान्त भी उनके द्वारा हस्तगत निगरानी लगभग 11 वर्ष बाद प्रस्तुत की गयी और उनके द्वारा उक्त देरीना के भी कोई स्पष्ट कारण प्रलिक्षित नहीं किये है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2005(2) RRT 1225 Gordhan & Ors. vs. State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953–धारा 27ए–ग्राम पंचायत ने 125 भूखण्ड नलामी द्वारा बेचे–बाजार दाम से कम मूल्य पर भूखण्ड बेचने की शिकायत पर कलेक्टर ने विक्रय निरस्त किया–उच्च

अति. जिला कलेक्टर पाली

न्यायालय द्वारा कलेक्टर का आदेश अपास्त किया गया–उच्च न्यायालय के निर्णय के 7 वर्ष बाद पंचायत विस्तार अधिकारी ने विभिन्न निगरानियां पेश की–जांच रिपोर्ट के अलावा अन्य साक्ष्य नहीं–पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के उपयोग में 6–7 वर्ष का असाधारण विलम्ब–जांच रिपोर्ट प्रार्थीगण के ध्यान में नहीं लाई गई और उसमें उल्लेखित आरोपों का जवाब देने का अवसर नहीं दिया–22 वर्ष पूर्व भूखण्ड क्रय किये और अब निलामी क्रेताओं को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं होगा–आदेश अपास्त किया। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय का अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार–प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टे की सचेष्ट रूप से जानकारी होने के उपरान्त लगभग 11 वर्ष बाद देरीना के बिना कोई ठोस व स्पष्ट कारण बताये हुये प्रस्तुत की, जो प्रथमदृष्टया म्याद के आधार पर खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस यह भी उज्र रहा कि उक्त आवंटन की शर्त संख्या 8 का पालन नहीं किया गया और मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। इसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि मौके पर निर्माण कार्य किया हुआ है जिसके सम्बन्ध में उन्होंने फोटोग्राफ्स पेश किये। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध सिविल न्यायालय, देसूरी के प्रकरण संख्या 24/2016 फुआराम बनाम हिरालाल में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2016 में अंकित तथ्य तथा पत्रावली पर उपलब्ध फोटोग्राफ्स के तुलनात्मक अध्ययन से यह सुस्पष्ट है कि मौके पर निर्माण कार्य किया हुआ है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उपरोक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों की प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता को आबादी भूमि में अलग अलग भूखण्ड के पट्टे जारी किये गये थे। समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन व्यक्तियों, ग्राम कारीगरों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को आवासी आवास स्थल हेतु आबादी भूमि का विशेष आवंटन नियम, 1975 के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी

अति. जिला कलेक्टर पाली

किया गया, जो विधिनुसार प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 4553 दायर दिनांक 15.12.1975 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली